

FORM NO . III

\* फर्द अहकाम  
नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना ( अलवर )

..... श्री राम ..... बनाम ..... खसरा .....

किसम मुकदमा ..... प्रार्थना पत्र 212 ..... नो. 2202 ..... सन 236-2015

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही गय इनिशियलज जज

नम्बर या तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामिल  
में जारी हुए।

236-2015 आज यह पत्रावली मूल वादपत्र के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थीज्ब उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र 212 RT Act दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थीज्ब की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीज्ब का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीज्ब के पक्ष में साबित प्रतीत है।

अतः अप्रार्थीज्ब को अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से आगामी दिनांक 24-11-15 तक पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 1027, 628, 629

कुल किता ~~वैत~~ वाके ग्राम ~~खसरा~~ तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान के ~~राजस्व रिहाई~~ की यथास्थिति ~~वैत~~ 236/15

क्योना उक्त आदेश ताफैसला सम्पूष्ठ कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकार अपना जबाव पेश करे। वास्ते तलबी अप्रार्थीज्ब को नोटिस जारी हो। बाद तलबी पत्रावली दिनांक 24-9-2015 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी  
नीमराना (अलवर)


तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए।

23-7-24

आज यह पत्रावली पेश हुई।  
पत्रावली में मूल वाद अफम चेरवी  
अफम दाजरी में खरीज हो चुका है।  
अतः ग्राफ्ट भी अफम दाजरी अफम  
चेरवी में खरीज किया जाता है। पत्रावली  
कैसल शुमार दोबर नम्बर से बरग  
हो। वाद शर्हि संलग्न मूल वाद रहे।

  
उपस्थंड अधिकारी  
नीराना (कोटपूतली-बहरोड)